

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

संख्या 72 तारीख दायर 11/09/2020 दिनांक निर्णय 15/10/2020

उनवान

पटवारी हमना मजोरा बनाम केशव चन्द

आज पत्रावली मु.-नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।

मु. नैरसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207-7 का नया कब्जा होना साबित होता है।

तिकनी काबिल बेदखली है।

आदेश है कि-

नैरसायल केशव चन्द पुत्र/ पत्नी सुन्दराम मीना  
जाति मीना निवासी इन्दपुरा  
को आराजी खसरा नं. 85/604 रकबा 0.05 किस्म डॉ. सु. कृष्णाबाग वाके ग्राम.  
इन्दपुरा से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान 0.10 की  
50 गुणा में मु. 5/- रुपये कायमी कराई जावें

TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

स. ले. स. 4 वर्ष 2020-21  
के पृष्ठ संख्या 14 पर सि. नं. 05/-  
राशि कायम किये गये। क. नि. 250/-  
पेचके  
त. रा. लेखाकार

ह  
नायब तहसीलदार  
राजगढ़ (अलवर)